न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. भंवरलाल पिता स्वर्गीय भैरूलाल गुर्जर, निवासी गुर्जर मोहल्ला, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
2. मोहनलाल उर्फ महे ा पिता स्वर्गीय भैरूलाल गुर्जर, निवासी गुर्जर मोहल्ला, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
3. बाबुलाल पिता स्वर्गीय प्रतापलाल गुर्जर, निवासी गुर्जर मोहल्ला, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
4. भागीरथ उर्फ प्रभुलाल पिता स्वर्गीय प्रतापलाल गुर्जर, निवासी गुर्जर मोहल्ला, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
5. रामलाल पिता स्वर्गीय छगनलाल गुर्जर, निवासी गुर्जर मोहल्ला, गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवेन्द्र मीणा पिता स्व. मंगला मीणा, निवासी प्लाट नंबर 122, बोरी का कुंआ, हाल पुराना नवजीवन स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर
2. श्रीमती कमला पत्नी देवेन्द्र मीणा, निवासी प्लाट नंबर 122, बोरी का कुंआ, हाल पुराना नवजीवन स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर
3. राजेश मीणा देवेन्द्र मीणा, निवासी प्लाट नंबर 122, बोरी का कुंआ, हाल पुराना नवजीवन स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर
4. श्रीमती समता पत्नी राजे ा मीणा, निवासी प्लाट नंबर 122, बोरी का कुंआ, हाल पुराना नवजीवन स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर
5. ऋशिराज पिता देवेन्द्र मीणा, निवासी प्लाट नंबर 122, बोरी का कुंआ, हाल पुराना नवजीवन स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर
6. श्रीमती रीना पत्नी ऋशिराज मीणा, निवासी प्लाट नंबर 122, बोरी का कुंआ, हाल पुराना नवजीवन स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 11, उदयपुर
7. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्सास, उदयपुर

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक
04–03–2021 प्रकरण संख्या 83/19

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:59 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मनीश भार्मा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री हनुमान प्रसाद भार्मा, अभि.रे.सं. 1 से 6

3– श्री विजय कुमार चौहान अभिभाशक रे.सं. 7

———/———

निर्णय दिनांक 21–12–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण क मौरूसी खातेदारी एवं आधिपत्य की कृशि भूमि मौजा देवाली, गोवर्धन विलास में स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 463/1 घ व 464/1 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 888 से 896 कुल किता 9 रकबा 1.4150 हैक्टर हैं। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वक्त सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने वादीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि बिलानाम गैर काबिल का त दर्ज कर दी, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात पर कब्जा आज भी वादीगण का ही अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अतः वाद वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोशित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने आदे I 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात नगर विकास प्रन्यास द्वारा आबादी में परिवर्तित की जा चुकी है तथा कृशि भूमि नहीं है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा आबादी पट्टे जारी किये जा चुके हैं एवं इस भूमि पर दिनांक 06–05–2010 से किसी प्रकार का कृशि कार्य नहीं हो रहा है। अतः वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

वादी द्वारा उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि वादीगण विवादित भूमि पर का त करते चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा अपने वाद में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कारित त्रुटि को दूर करे की दाद चाही गयी है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदे I 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:59 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–03–2021 से वादीगा का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से नगर विकास प्रन्यास के अधिवक्ता श्री विजय कुमार चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि भू–प्रबन्ध के दौरान अपीलान्ट के पूर्व पुरूश के खातेदारी की भूमि बिना किसी अधिकार के बिलानाम दर्ज कर दी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण जवाबदावा लेकर एवं तनकियात कायम कर तनकीवार विवेचन करना चाहिए था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्व पूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. के आवेदन पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण का वाद श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नहीं मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर अपीलान्टगण का वाद डिक्री किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का विवेचन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 विवादित 888 से 896 कुल किता 9 रकबा 1.4150 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा कैफियत के कॉलम में नामान्तरकरण संख्या 678 दिनांक 10–06–2010 सम्पूर्ण भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। अपीलान्टगण द्वारा उक्त वाद वर्श 2019 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि विवादि[illegible]जियात वर्श 2010 में ही नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:59 IST
Reason: SelfAttested

विकास प्रन्यास के नाम दर्ज चुकी है एवं नगर प्रन्यास विभाग द्वारा भूमि के आबादी पट्टे भी जारी किये जा चुके हैं, जिससे वक्त दावा विवादित भूमि की किस्म कृशि भूमि नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अपना श्रवणाधिकार एवं श्रेत्राधिकार नहीं मानते हुए प्रतिवादी का आदे I 7 नियम 11 का प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:59 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

भंवरलाल पिता स्व. भैरूलाल गुर्जर, नि. गुर्जर मोहल्ला, गोवर्धन विलास, उदयपुर व अन्य बनाम **देवेन्द्र मीणा पिता स्व. मंगला मीणा, नि0 प्लॉट नं0 122, बोरी का कुंआ, हाल पुराना नवजीवन स्कूल के पास हिरण मगरी, से.11, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**35 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी** ..... **गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**04**.....माह.....**03**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीश भार्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हनुमान प्रसाद भार्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**12**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:09:59 IST
Reason: SelfAttested